न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2022 नामान्तरकरण अपील

1. नाथी देवी पत्नि स्व. भौरया
2. हजारीलाल
3. रमेश
4. पूरण

पिसरान भौरया जाति बैरवा निवासी गढोरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
2. भरतलाल पुत्र भौरया जाति बैरवा निवासी गढोरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 24.05.2018 उप तहसीलदार बहरावण्डा बाबत् विरासत का नामान्तरकरण खारिज करने के सम्बन्ध में)

उपस्थिति :–: श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
: श्री अजीत गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 03.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गढोरा में आराजी खसरा नम्बर 65, 68 रकबा 0.99 है. व खसरा नम्बर 55 रकबा 0.44 है. खसरा नम्बर 63, 64 रकबा 0.05 है. स्थित है। उपरोक्त भूमि में भौरया पुत्र सुन्दर का हिस्सा 1/8 व भौरया पुत्र सुन्दर का हिस्सा 1/40 व भौरया पुत्र सुन्दर का हिस्सा 1/48 दर्ज रिकार्ड था। भौरया पुत्र सुन्दर की मृत्यू दिनांक 8.12.2015 को हो गई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भौरया की विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु निवेदन किया। जिस पर उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.05.2018 को बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बगैर ही नामान्तरकरण खारिज कर दिया। उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि भौरया पुत्र सन्दर की मृत्यू दिनांक 8.12.2015 को हो गई थी। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भौरया की विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु निवेदन किया तथा साथ में मृत्यू प्रमाण पत्र व शपथ पत्र सजरा प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 21.05.2018 को भौरया पुत्र सुन्दर की विरासत का नामान्तरकरण भरा तथा उक्त नामान्तरकरण पर आई.एल.आर. ने दिनांक 23.05.2018 को मुताबिक जमाबन्दी एवं सजरा शपथ पत्र वारिसान का अंकन सही होने बाबत् रिपोर्ट की। इसके बावजूद उप तहसीलदार द्वारा अवैधानिक तरीके से दिनांक 24.05.2018 को बिना अपीलान्ट को सूचना दिये यह लिखा की मृत्यू प्रमाण पत्र में मृतक का पता जमाबन्दी में अंकित पते से भिन्न है एवं उक्त नामान्तरकरण खारिज कर दिया। उपतहसीलदार को केवल मात्र मृतक के वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिये था ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी हल्का व आई.एल.आर. की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। मृतक भौरया ग्राम लांका में ही रहता था और लांका में ही उसकी मृत्यु हुई है तथा लांका में ही मृतक भौरया की भूमि व मकान है तथा गढोरा में भी कृषि भूमि है। मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित पते के आधार पर उक्त नामान्तरकरण खारिज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। उपतहसीलदार को तो केवल मात्र विरासत के नामान्तरकरण में वारिसान की जाचं करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व आई. एल. आर. की रिपोर्ट का अवलोकन ही नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भौरया पुत्र सुन्दर का वारिस है परन्तु अब तक वह बाहर रहता है। उसके मौजूद न होने के कारण उसे दर्शनीय रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। आवश्यक पक्षकार होने के कारण ही पक्षकार बनाया गया है। अतः उप तहसीलदार बहरावण्डा का आदेश दिनांक 24.05.2018 को निरस्त फरमाते हुये प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाकर मृतक भौरया पुत्र सुन्दर का विरासत का नामान्तरकरण विधिवत रूप से तस्दीक करने के निर्देश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भी बहस के दौरान प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मृतक भौरया पुत्र सुन्दर की विरासत का नामान्तरकरण मृतक भौरया के मृत्यू प्रमाण पत्र में अंकित पते के जमाबन्दी में अंकित पते से भिन्न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 24.05.2018 को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को केवल दर्शनीय रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष भी नही चाहा गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध 4 वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में मृतक भौरया पुत्र सुन्दर के फौत हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान की जांच किया जाकर विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था। पटवारी हल्का कालाखो द्वारा विरासत का नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया है। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में मुताबिक जमाबन्दी एवं सजरा शपथ पत्र वारिसान अंकन सही होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तत्कालीन उप तहसीलदार बहरावण्डा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक खातेदार एवं उसके वारिसान के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा